



क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1895/NGT OA-97/22/2022
To,

दिनांक 14/1/2022

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Report of the Joint Committee in compliance to Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi Order dated 04.02.2022 in O.A. No. 97/2022 in the matter of Salman Miya Vs State of Uttar Pradesh

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject Compliance Report in Original Application No-97/2022 in the matter of Salman Miya Vs State of Uttar Pradesh is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Joint report.

Yours Sincerely


Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.


Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Compliance Report
In
Original Application No.
97/2022

Salman Miya
Versus
State of Uttar Pradesh

Order Date - 04-02-2022

Filed on Behalf Joint Committee by:
Uttar Pradesh Pollution Control Board

1. Background

The applicant Shri Salman Miya had sent a complaint by post to the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) alleging that illegal acid and chemical factories are operating without license as well as burning e-waste in the open in the area of Village Chivra, PS Dholana, District Hapur by Naseen Muradabadi, Mullah Javed, Aslam, Shami, Rashid Aslam, M/s P. Textiles, Sayeed, M/s Irshad Janta Group, Danish, Shakeel. In view of said complaint, Hon'ble NGT had passed following order dated 04.02.2022: -

"...Having regard to the seriousness of the allegations, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a Joint Committee of the CPCB, State PCB, Superintendent of Police and District Magistrate- Hapur (Uttar Pradesh). The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance...."

2. Compliance and Action Taken Report:

In compliance with orders of the Hon'ble NGT, State Board had sought nominations from respective agencies for the constitution of the Committee and site inspection vide letter dated 16.02.2022, copy of the same is annexed as **Annexure I**. The committee, comprising of Shri Tarun Darbari, Scientist D, Central Pollution Control Board (CPCB), New Delhi, Shri Praveen Kumar, Tehsildar, Dhaulana, Dr. Tejbir Singh, D.S.P., Dhaulana, Shri Kishan Singh, Assistant Environmental Engineer and Shri Ranjit Singh, Junior Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Ghaziabad, inspected the site stated in the complaint along with committee members on 23.04.2022. Shri Tarun Darbari, Scientist D, CPCB, and Shri Kishan Singh, Assistant Environmental Engineer, UPPCB have re- visited all the sites on 29-08-2022. The complainant could not be contacted as none of the committee members were aware of the complainant's contact details. It is pertinent to mention that the area stated in the complaint is not residential but an approved industrial area of the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) at Mussoorie Gulawathi Road. Observations of inspection have been detailed hereunder.

3- Observations

1- Plot number E-59, Phase-1, MG Road, Hapur:

Observation dated 23-04-2022: During inspection, setup for manual dismantling of printed circuit boards (PCBs) was found, followed by leaching and smelting in the pot furnace, which was also available on site in which wood or coal were used as fuel. No air pollution control devices were found to be installed. During the inspection, no work was being done on site and only the security guard was present. It was informed by the guard that the said premise has been taken on rent by Mr. Naseem Ahmed, a resident of Moradabad and the work is currently closed due to Ramzan. The said industry has not obtained any permission such as consent to establish or consent to operate under Water and Air Act or Authorisation under E-Waste(M) Rules, 2016 from the U.P. Pollution Control Board.

Observation dated 29-08-2022: During the inspection, plant and machinery were found removed which were observed during inspection on 23-04-2022. The photographs taken at the time of inspection dated 23-04-2022 and 29-08-2022 are as follows: -

Photographs dated: 23-04-2022



Photographs dated: 29-08-2022



2- Plot No. G-54, Phase-1, MG Road, Hapur:

Observation dated 23-04-2022: During inspection, it was found that manual dismantling of e-waste was being done on the said plot. It was informed by the representative present in the industry that the owner of the said industry is Mr. Arif resident of Moradabad, has taken the premises on rent. No plant machinery was found installed during the inspection. The guard present during the inspection could not present proof of the firm's name and permission from the concerned departments. The said industry has not obtained either consent to establish or consent to operate and Authorization under E-Waste(M) Rules, 2016 from the UP Pollution Control Board.

Observation dated 29-08-2022: The said industry was found closed during the inspection. After enquiring from nearby industries, it was informed that the industry had vacated the plot 03 to 04 months ago and no work is being done at present. The photographs taken at the time of inspection dated 23-04-2022 and 29-08-2022 are as follows:-

Photographs dated 23-04-2022



Photographs dated 29-08-2022



3- Plot No. G-45 Phase-1, MG Road, Hapur:

Observation dated 23-04-2022: During inspection, setup for manual dismantling of Printed Circuit Board (PCB) was found, followed by leaching and smelting in the port furnace, which was also available on site in which wood/coal is used as fuel. No air pollution control devices were found installed on site. During the inspection, no work was being done on site and only a security guard was present. It was informed by the guard that the owner of the said industry Mr. Shami, a resident of Moradabad has taken the said premise on rent. Presently work is closed due to Ramzan. The said industry has not obtained either consent to establish/consent to operate from the UP Pollution Control Board.

Observation dated 29-08-2022: During the inspection, plant and machinery were found removed which were observed during inspection on 23-04-2022. The photographs taken at the time of inspection dated 23-04-2022 and 29-08-2022 are as follows: -

Photographs dated 23-04-2022



Photographs dated 29-08-2022



4- Plot number G-270, Phase 1, MG Road, Hapur:

Observation dated 23-04-2022: The said industry was found closed during the inspection. After enquiring from nearby industries, it was informed that the said industry had vacated the plot 03 to 04 months ago and no work is being done at present.

Observation dated 29-08-2022: During the inspection, no plant and machinery were found installed in the said industry premise. The photographs taken at the time of inspection dated 23-04-2022 and 29-08-2022 are as follows: -

Photographs dated 23-04-2022



Photographs dated 29-08-2022



5- Plot No. G-142, Phase 1, MG Road, Hapur:

Observation dated 23-04-2022: The said industry was found closed during the inspection. After enquiring from nearby industries, it was informed that the said industry had vacated the plot 03 to 04 months ago and no work is being done at present.

Observation dated 29-08-2022: During the inspection, no plant and machinery

were found installed in the said industry premise.

The photographs taken at the time of inspection dated 29-08-2022 are as follows:-

Photographs dated 29-08-2022



6- Plot No. G-71, Phase 1, MG Road, Hapur:

Observation dated 23-04-2022: During the inspection, the work of paper cutting was found on the said plot, and a printing machine was found installed. It was informed by the representative present in the industry that the above industry building had been taken on rent a month ago. No objection certificate and consent for water and air has not been obtained from the UP Pollution Control Board by the industry. Previously, State Board inspected the said premises on 19.11.2021 and unauthorized e-waste dismantling and smelting work was found to be done, consequently, State Board had issued closure order 11.01.2022 and imposed environmental compensation as well.

Observation dated 29-08-2022: During the inspection, no plant and machinery were found installed in the said industry premise. However, the said premise has been taken on rent by Mr. Sanjeev Kumar. He informed that they are planning to start manufacturing the Food Products (Sweets and Namkeen) from 01-09-2022.

The photographs taken at the time of inspection dated 23-04-2022 and 29-08-2022 are as follows: -

Photographs dated 23-04-2022



Photographs dated 29-08-2022



7- Plot No. G-80, Phase 1, MG Road, Hapur:

Observation dated 23-04-2022 and 29-08-2022: During the inspection, no plant and machinery were found installed in the said industry premise. The photographs taken at the time of inspection dated 23-04-2022 and 29-08-2022 are as follows: -



Photograph dated 23-04-2022



Photograph dated 29-08-2022

8- Plot No. H-16, Phase 1, MG Road, Hapur:

Observation dated 23-04-2022: During the inspection, no plant and machinery were found installed in the said industry premises.

Observation dated 29-08-2022: During the inspection, an industry named M/s M F Fabrication works was found operating since 20-08-2022 on the said plot. The work of sheet metal including cutting, welding and painting work was found on the said plot. No objection certificate and consent for water and air has not been obtained from the UP Pollution Control Board by the industry. The photographs taken at the time of inspection dated 23-04-2022 and 29-08-2022 are as follows:-

Photograph dated 23-04-2022



Photographs dated 29-08-2022



9- Plot No. I-10, Phase III, MG Road, Hapur:

Observation dated 23-04-2022: The said industry was found closed during the inspection. After enquiring from nearby industries, it was informed that the

industry had vacated the plot 03 to 04 months ago and no work is being done at present.


Observation dated 29-08-2022: During inspection, it was found that unauthorised manual dismantling of e-waste was being done on the said plot. No plant machinery was found installed on the said plot. The said industry has not obtained either consent to establish or consent to operate under water and Air Act or Authorisation under E-Waste(M) Rules, 2016 from the UP Pollution Control Board.

The photographs taken at the time of inspection dated 23-04-2022 and 29-08-2022 are as follows: -

Photograph dated 23-04-2022



Photograph dated 29-08-2022



10- Plot No. I-8, Phase III, MG Road, Hapur:

Observation dated 23-04-2022: During the inspection, an industry named M/s Actinate Bio Pharma Pvt Ltd was found operating on the said plot, in which Ayurvedic medicines are produced by the formulation process. No fuel and water are used in the production process of the industry, and no effluent is generated from the production process of the industry.

Observation dated 29-08-2022: During the inspection, no plant and machinery

were found installed in the said industry premise. The photographs taken at the time of inspection dated 23-04-2022 and 29-08-2022 are as follows:-

Photograph dated 23-04-2022



Photograph dated 29-08-2022



Action Taken:

Under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, UPPCB issued closure orders to illegal units operating at Plot No. E-59, Phase-1, MG Road, Hapur, Plot No. G-45, Phase-1, MG Road, Hapur, Plot No. G-54 Phase-1, MG Road, Hapur and Plot No. G-71, Phase 1, MG Road, Hapur and also imposed an environmental compensation of Rs. 52,60,000/- (Fifty Two Lakhs Sixty Thousand On) on illegal polluting units. Electricity disconnection has also been done on said plots to ensure closure. Copy of closure orders is annexed as **Annexure II** of the report.

Besides this, letter has been sent to Regional Manager, UPSIDA to initiate action as per law as these units were found to be operating without obtaining necessary permission with regards to rent/product change from UPSIDA. Also, recommendation to realise environmental compensation imposed on defaulting units as arrears of land

revenue from plot owners (in case lessors are not known) has been made. *Annexure III*

Notices were issued to I-10, G-71 and H-16 as they were found to be operating on 29.08.2022. Thereafter, Consent to Operate has been issued to H-16 for steel fabrication (Green Category) and I-10 and G-71 have shut their operations and submitted affidavits in this regards. Same has been verified on site. *Annexure IV*

Report is being submitted for kind perusal and further necessary directions



(Ranjeet Singh)
Junior Engineer,
UPPCB



(Kishan Singh)
Assistant Environmental
Engineer, UPPCB



(Tarun Darbari)
Scientist-'D'
CPCB



(Dr. Tejbir Singh)
D.S.P.
Dhaulana, Hapur



(Praveen Kumar)
Tehsildar, Dhaulana



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 2028/एन०जी०टी०-138/ओ०ए०नं-97/2022

दिनांक 16/02/2022

सेवा में,

1. सदस्य सचिव महोदय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
2. पुलिस अधीक्षक, हापुड़।

peril

विषय: मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित OA No-97/2022 Salman Miya Versus State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 04.02.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित OA No-97/2022 Salman Miya Versus State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 04.02.2022 को आदेश पारित किए गये हैं, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है:-

".....Grievance of the applicant Samlan Miya is against running of illegal acid and chemical factories without license as well as burning of ewaste in open in area of Village Chivra, PS Dholana, District Hapur, Uttar Pradesh, by Naseen Muradabadi, Mullah Javed, Aslam, Shami, Rashid Aslam, M/S P. Textile, Sayeed, M/S Irshad Janta Group, Danish, Shakeel. It is submitted that these acid and chemical factories emit toxic gases and pollution which is very harmful for the children as well as for aged persons. Complaints were also given to the local police in this regard but no action has been taken so far.

Having regard to the seriousness of the allegations, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a Joint Committee of the CPCB, State PCB, Superintendent of Police and District Magistrate- Hapur (Uttar Pradesh). The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

उपरोक्त के कम में आपसे सादर अनुरोध है कि मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रतिनिधि नाभित करने का कष्ट करें, जिससे कि जिला प्रशासन की तरफ से नियत तिथि पर संयुक्त निरीक्षण कर आख्या मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा सकें। वाद की अग्रिम सुनवाई दिनांक 13.05.2022 नियत है।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, हापुड़।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. सहायक पर्यावरण अभियंता/अवर अभियंता, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-II

Ref No. 47373 / C-1 / सा 935 / बन्दी आदेश / 2022

Date: 17/6/22

सेवा में,

पंजीकृत

श्री धीरज अग्रवाल,
प्लॉट नं०-ई-59, फेज-1,
एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र,
हापुड़।

यह कि श्री धीरज अग्रवाल, प्लॉट नं०-ई-59, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ जो मैनुअल प्रक्रिया द्वारा पी0सी0डी0 बोर्ड को डिस्मेन्टलिंग कर नाईट्रिक एसिड एवं हाईड्रोक्लोरिक एसिड के घोल में डिजाल्व कर गोला एवं अन्य मेटल को पृथक्कीकरण करने के उपरान्त पोर्ट भट्टी में गलाने के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि श्री धीरज अग्रवाल, प्लॉट नं०-ई-59, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ का निरीक्षण संयुक्त समिति के अध्यक्ष आनन्द कुमार, वैज्ञानिक एफ, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली, प्रवीन कुमार, तहसीलदार, धौलाना, डा0 तेजवीर सिंह, क्षेत्राधिकारी पुलिस, धौलाना, किशन सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता तथा रंजीत सिंह, अवर अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 23.04.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग में मेटल को गलाने हेतु एक पोर्ट फर्नेस स्थापित पायी गयी, जिसमें ईंधन हेतु लकड़ी का प्रयोग किया जाना अवगत कराया गया तथा उक्त पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा फर्म का नाम एवं सम्बन्धित विभागों से अनुमतियों के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए आप के संचालन को रोका जाये।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी औद्योगिक इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि श्री धीरज अग्रवाल, प्लॉट नं०-ई-59, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ पर अवैध रूप से संचालित इकाईयों की संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि श्री धीरज अग्रवाल, प्लॉट नं०-ई-59, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ पर अवैध रूप से संचालित इकाईयों को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का निरोध करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

.....2- /

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत श्री धीरज अग्रवाल, प्लॉट नं०-ई-59, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाइन के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा डिफाल्टर दिवसों हेतु की गयी संस्तुति दिनांक 07.12.2021 से दिनांक 23.04.2022 तक कुल 138 डिफाल्टर दिवस हेतु रू० 6,90,000/- (रू० छः लाख नब्बे हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।

(विवेक शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, हापुड़।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०, हापुड़ को इस आशय से प्रेषित की उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करे।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या ससमय मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No-

178643

/C-1/सा0-1003/बन्दी आदेश/2022

Date: 19.7.22

सेवा में,

पंजीकृत

श्री बलराम कसाना,
प्लॉट नं0-जी-45, फेज-1,
एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र,
हापुड़।

यह कि श्री बलराम कसाना, प्लॉट नं0-जी-45, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ जो मैनुअल प्रक्रिया द्वारा ई-वेस्ट डिस्मेन्टलिंग के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि श्री बलराम कसाना, प्लॉट नं0-जी-45, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ का निरीक्षण संयुक्त समिति के सदस्य आनन्द कुमार, वैज्ञानिक एफ, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली, प्रवीन कुमार, तहसीलदार, धौलाना, डा0 तेजवीर सिंह, क्षेत्राधिकारी पुलिस, धौलाना, किशन सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता तथा रंजीत सिंह, अवर अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 23.04.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग में मैटल को गलाने हेतु एक पोर्ट फर्नेस स्थापित पायी गयी, जिसमें ईंधन हेतु लकड़ी का प्रयोग किया जाना अवगत कराया गया तथा उक्त पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा फर्म का नाम एवं सम्बन्धित विभागों से अनुमतियों के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-वेस्ट डिस्मेन्टलिंग प्रक्रिया से जनित उत्सर्जन हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी औद्योगिक इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि श्री बलराम कसाना, प्लॉट नं0-जी-45, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ पर अवैध रूप से संचालित इकाईयों की संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि श्री बलराम कसाना, प्लॉट नं0-जी-45, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ पर अवैध रूप से संचालित इकाईयों को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

.....2- /

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत श्री बलराम कसाना, प्लॉट नं०-जी-45, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर रु० 10,000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, हापुड़।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, हापुड़ को इस आशय से प्रेषित की उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करे।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या ससमय मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

Dr. Arun

संभ
वाता
1981
विरुद्ध

बोर्ड क
मन्त्रि
यह
हापुड़
दिया
ह कि
00जी०
त आ
कर दि



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 474/19, C-1 / सा0-936 / बन्दी आदेश / 2022

Date: 20/6/22

सेवा में,

पंजीकृत

श्री रोहित वासन,
प्लॉट नं0-जी-54, फेज-1,
एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र,
हापुड़।

यह कि श्री रोहित वासन, प्लॉट नं0-जी-54, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ जो मैनुअल प्रक्रिया द्वारा पी0सी0बी0 बोर्ड को डिस्मेंटलिंग कर नाइट्रिक एसिड एवं हाईड्रोक्लोरिक एसिड के घोल में डिजाल्व कर गोल्ड एवं अन्य मेटल को पृथकीकरण करने के उपरान्त पोर्ट भट्ठी में गलाने के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि श्री रोहित वासन, प्लॉट नं0-जी-54, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ का निरीक्षण संयुक्त समिति के सदस्य आनन्द कुमार, वैज्ञानिक एफ, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली, प्रवीन कुमार, तहसीलदार, धौलाना, डा0 तेजबीर सिंह, क्षेत्राधिकारी पुलिस, धौलाना, किशन सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता तथा रंजीत सिंह, अवर अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 23.04.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग में मेटल को गलाने हेतु एक पोर्ट फर्नेस स्थापित पायी गयी, जिसमें ईंधन हेतु लकड़ी का प्रयोग किया जाना अवगत कराया गया तथा उक्त पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा फर्म का नाम एवं सम्बन्धित विभागों से अनुमतियों के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी औद्योगिक इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि श्री रोहित वासन, प्लॉट नं0-जी-54, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ पर अवैध रूप से संचालित इकाईयों की संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि श्री रोहित वासन, प्लॉट नं0-जी-54, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ पर अवैध रूप से संचालित इकाईयों को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

.....2- /

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत श्री रोहित वासन, प्लॉट नं०-जी-54, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा डिफाल्टर दिवसों हेतु की गयी संस्तुति दिनांक 07.12.2021 से दिनांक 23.04.2022 तक कुल 138 डिफाल्टर दिवस हेतु रू० 6,90,000/- (रू० छः लाख नब्बे हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, हापुड़।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, हापुड़ को इस आशय से प्रेषित की उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करे।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या ससमय मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- **178583** /C-1 /सा0-1004 /बन्दी आदेश /2022

Date: **12/7/22**

सेवा में,

पंजीकृत

मो0 यामीन,
प्लॉट नं0-जी-71, फेज-1,
एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र,
हापुड़।

यह कि मो0 यामीन, प्लॉट नं0-जी-71, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ जो बुक पेपर कटिंग के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मो0 यामीन, प्लॉट नं0-जी-71, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ का निरीक्षण संयुक्त समिति के सदस्य आनन्द कुमार, वैज्ञानिक एफ, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली, प्रवीन कुमार, तहसीलदार, धौलाना, डा0 तेजबीर सिंह, क्षेत्राधिकारी पुलिस, धौलाना, किशन सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता तथा रंजीत सिंह, अवर अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 23.04.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उद्योग द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति/सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं किया गया है। इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी औद्योगिक इकाई को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मो0 यामीन, प्लॉट नं0-जी-71, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ पर अवैध रूप से संचालित इकाईयों की संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मो0 यामीन, प्लॉट नं0-जी-71, फेज-1, एम0जी0 रोड, यू0पी0सी0डा0 औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ पर अवैध रूप से संचालित इकाईयों को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

.....2- /

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत मो० यामीन, प्लॉट नं०-जी-71, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड़ के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, हापुड़।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, हापुड़ को इस आशय से प्रेषित की उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करे।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या ससमय मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

9e. Ay



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक : 470357

सेवा में,

/सी-1/सा०-796/2022

पंजीकृत
दिनांक 11/12/22

मो० यामीन,
पुत्र मो० इस्लाम खान,
म०न०-32/382, त्रिलोकपुरी,
दिल्ली-110091

कार्यस्थल- जी-71,
यू०पी०सी०डा०,
एम०जी०रोड औद्योगिक क्षेत्र,
हापुड

विषय : मो० यामीन पुत्र मो० इस्लाम खान, म०न०-32रु382, त्रिलोकपुरी, दिल्ली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया लागू GRAP एवम् Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas, New Delhi द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में यूपीसीडा के प्राधिकृत अधिकारियों एवम् बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्लॉट संख्या-जी-71, यूपीसीडा, एम०जी०रोड औद्योगिक क्षेत्र, हापुड का निरीक्षण दिनांक-19.11.2021 को किया गया। उक्त प्लॉट पर लैंड/मैटल स्लैग को मैल्ट कर लैंड/मैटल्स को निकालने का कार्य किया जाता पाया गया। उद्योग में वायु प्रदूषणकारी स्रोत के रूप में कोल/बुड से संचालित होने वाली भट्टियों स्थापित व कार्यरत पायी गयीं तथा भट्टियों के संचालन एवम् प्रक्रिया उत्सर्जन से जनित होने वाले वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा प्लॉट संख्या-जी-71, यूपीसीडा, एम०जी०रोड औद्योगिक क्षेत्र, हापुड के स्वामी मो० यामीन पुत्र मो० इस्लाम खान, म०न०-32/382, त्रिलोकपुरी, दिल्ली के विरुद्ध रुपया-25,00,000/- (रुपया पच्चीस लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति दिनांक-20.11.2021 तथा मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाइड लाइन के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त प्लॉट स्वामी मो० यामीन पुत्र मो० इस्लाम खान, म०न०-32/382, त्रिलोकपुरी, दिल्ली के विरुद्ध रुपया-25,00,000/- (रुपया पच्चीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवम् निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि रुपया-25,00,000/- (रुपया पच्चीस लाख मात्र) को उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय,

(विवेक शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, हापुड।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1800/1104/23/2021
 सेवा में,

दिनांक 23/09/2021

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
 यू०पी०सी०डा०ए०, सी-2, चतुर्थ तल, महालक्ष्मी माल,
 आर०डी०सी० राजनगर, गाजियाबाद (उ०प्र०)।

विषय: अवैध रूप से संचालित उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा यू०पी०सी०डा०, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत फेज-1, फेज-2, फेज-3 में स्थापित उद्योगों का निरन्तर निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्लाटों पर अवैध उद्योग जिन्हें उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है स्थापित व कार्यरत पाये गये। उक्त उद्योगों के विरुद्ध उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल व वायु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की है। उद्योगों/प्लाटों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	उद्योगों/प्लाटों नाम व प्लाट संख्या
1.	प्लाट नं० जी-54, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
2.	प्लाट नं० ई-59, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
3.	प्लाट नं० जी-45, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
4.	प्लाट नं० आई-8, फेज-3, एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
5.	प्लाट नं० जी-142, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
6.	प्लाट नं० जी-71, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
7.	प्लाट नं० आई-10, फेज-3, एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
8.	प्लाट नं० बी-42, फेज-1, एम०जी० रोड, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
9.	प्लाट नं० एफ-15, फेज-1, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, एम०जी० रोड, हापुड
10.	प्लाट नं० एफ-02, फेज-1, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, एम०जी० रोड, हापुड
11.	प्लाट नं० एफ-58, फेज-1, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, एम०जी० रोड, हापुड
12.	प्लाट नं० एफ-41, फेज-1, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, एम०जी० रोड, हापुड
13.	प्लाट नं० एफ-43, फेज-1, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, एम०जी० रोड, हापुड
14.	प्लाट नं० एफ-51, 52, फेज-1, यू०पी०सी०डा० औद्योगिक क्षेत्र, एम०जी० रोड, हापुड
15.	प्लाट नं० एफ-611, फेज-2, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
16.	प्लाट नं० जी-610, फेज-2, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
17.	प्लाट नं० सी-51, 52, 91, 92, फेज-3, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
18.	प्लाट नं० सी-90, फेज-3, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
19.	प्लाट नं० सी-89, फेज-3, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
20.	प्लाट नं० सी-81, फेज-3, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
21.	प्लाट नं० सी-80, फेज-3, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
22.	प्लाट नं० एफ-325, फेज-1, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
23.	प्लाट नं० एफ-317, फेज-2, फेज-1, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
24.	प्लाट नं० जी-484, फेज-2, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
25.	प्लाट नं० जी-485, फेज-2, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
26.	प्लाट नं० जी-539, फेज-2, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, हापुड
27.	प्लाट नं० जी-71, फेज-1, एम०जी० रोड औद्योगिक क्षेत्र, हापुड

उपरोक्त प्लाटों पर स्थापित/कार्यरत उद्योगों के आवंटन/ट्रान्सफर/रेन्ट परमीशन व उत्पाद की जाँच करते हुये नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4150108
 मुख्यालय : TC-12, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

WGT

संदर्भ संख्या : 1659/सी/0999/2022

दिनांक 30/8/22

मोहम्मद फारुख पुत्र श्री अब्दुल गनी,

प्लॉट नं०-एच-16, फेज-1, यू०पी०एस०आई०डी०सी औद्योगिक क्षेत्र,
एम०जी० रोड, हापुड।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अज्ञापक प्राविधानों के सम्बन्ध में।

मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित OA No-97/2022 Salman Miya Versus State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 04.02.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में संयुक्त समिति द्वारा उक्त प्लॉट का पूर्व निरीक्षण दिनांक 23.04.2022 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त प्लॉट पर बिल्डिंग के अतिरिक्त कोई प्लांट एवं मशीनरी स्थापित व कार्यरत नहीं पायी गयी थी।

मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली के उक्त आदेश के क्रम में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 29.08.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त उद्योग परिसर में आप द्वारा स्टील फैब्रिकेशन (दरवाजे, रेलिंग आदि) का कार्य किया जा रहा है, जिस हेतु बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त एवं सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपका निर्देशित किया जाता है कि उद्योग संचालन तत्काल बन्द कर बोर्ड को सूचित करें तथा सहमति जल/वायु प्राप्त किये बगैर उद्योग का संचालन न किया जाये। अन्यथा उद्योग एवं उद्योग के स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, गाजियाबाद।

क्षेत्रीय अधिकारी

WGT

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2 सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010



Uttar Pradesh Pollution Control Board
 Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
 Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

163639/UPPCB/Circle1(UPPCBHO)/CTO/both/HAPUR/2022

Date: 08/09/2022

To,

M/s

M F FABRICATION WORKS

H-16, INDUSTRIAL AREA, HAPUR,HAPUR,

**Application Id-
17672916**

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to **M F FABRICATION WORKS** located at **H-16, INDUSTRIAL AREA, HAPUR,HAPUR,** subject to the provisions of the **Water Act, Air Act** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA **M F FABRICATION WORKS** granted for the period from **05/09/2022 to 31/03/2025** and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	SHEET METAL, FABRICATED & PRESSED PRODUCTS	15	Metric Tonnes/Month
2	(Dry process only)		Metric Tonnes/Day

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	0.6 KLD	Septic Tank	UPSIDC drain

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard
-------	-----------	----------

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of STP, production has to be

stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
-------	------------	-----------

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	DG set 20 KVA	HSD	1	Particulate Matter	As per CPCB norms

Emission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1	1	Particulate Matter	As per CPCB norms

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-<http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx> for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the

amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.

8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

Specific Conditions:-

1. The industry can only manufacture products, at the rate of production as mentioned in consent order. In case of any change in production capacity, process, raw materials use etc. the industry will have to intimate the Board. For any enhancement of the above, fresh Consent to Establish has to be obtained from U.P. State Pollution Control Board.

2. Under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rule 2000, the industry shall take adequate measures for control of noise from its own sources within the premises so as to maintain ambient air quality standards in respect of noise to less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A)

3. The industry shall adhere to general standards terms and conditions of Water/Air Acts and compliance of Environment standards as per Environment (protection) Act 1986.

4. Industry shall submit first compliance report with respect to conditions imposed within 30 days of issue of this permission.

5. Separate power connection with energy meter shall be provided for the Pollution Control Equipment's and record of power consumption and chemicals consumption for the operation of pollution control equipment shall be maintained separately.

6. Concealing the factual data or submission of false information / fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned in this order may result in withdrawal of this order and attract action under the provisions of relevant pollution control Acts.

7. Copy of NOC from Uttar Pradesh Ground Water Department (UPGWD) should be submitted to this office within 03 months, failing which this certificate shall be automatic revoked.

8. 1. Unit shall deposit outstanding fee of Rs.750/- in water/Air CTO within a week from date of issue of CTO, failing which this CTO shall be deemed void. A/c details given below:- Beneficiary name -U.P. Pollution Control Board. A/c number for Water & Air consent-6193000100001355, IFSC-PUNB0619300, Bank name:-Punjab National Bank, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow.

9. Unit shall ensure to development of green belt based on Miyawaki method.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.

2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.

3. Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.

4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.

5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof

6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.

7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

UTSAV Digitally signed by
SHARMA UTSAV SHARMA
Date: 2022.09.12
15:38:27 +05'30'

REGIONAL OFFICER, GHAZIABAD

Copy to:

CEO-1, UPPCB, LUCKNOW

REGIONAL OFFICER, GHAZIABAD



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

267

संदर्भ संख्या : 1658/सी/2022

दिनांक 30/8/2022

मैसर्स मुन्सीराम फूड्स प्रोडक्ट प्रा० लि०,

प्लाट नं०-जी-71, फेज-1, यू०पी०एस०आई०डी०सी औद्योगिक क्षेत्र,
एम०जी० रोड, हापुड।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अज्ञापक पाविधानों के सम्बन्ध में।

मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित OA No-97/2022 Salman Miya Versus State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 04.02.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में संयुक्त समिति द्वारा उक्त प्लाट का पूर्व निरीक्षण दिनांक 23.04.2022 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त प्लाट पर उक्त प्लाट पर बुक पेपर कटिंग का कार्य होता हुआ पाया गया तथा प्रिन्टिंग मशीन की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। उद्योग द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र व सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं की गयी है। तत्कम में उद्योग को बोर्ड के पत्र संख्या एच-78583/सी-1/सा०-1004/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 18.07.2022 द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।

मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली के उक्त आदेश के क्रम में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 29.08.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त उद्योग परिसर में नमकीन/बिस्कट उत्पादन हेतु प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना की जा रही है, जिस हेतु बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है तथा उद्योग को बोर्ड से निर्गत बन्दी आदेश की अवहेलना है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपका निर्देशित किया जाता है कि उद्योग में प्लाट एवं मशीनरी का कार्य तत्काल बन्द कर बोर्ड को सूचित करें तथा उद्योग को बोर्ड से निर्गत बन्दी आदेश के निक्षेपण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बगैर उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना व सहमति जल/वायु प्राप्त किये बगैर उद्योग का संचालन न किया जाये। अन्यथा उद्योग एवं उद्योग के स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी


प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, गाजियाबाद।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2 सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010



AGC NO. 00 - FIVE
LIC NO. 00 - CODE
GHAZIABAD, SADAR CHALAI 786

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP81081462373501U

30-Aug-2022 03:00 PM

NEWIMPACC (SV)/ up14080004/ GHAZIABAD SADAR/ UP-GZB

SUBIN-UPUP1408000454513214155711U

SANJEEV KUMAR

Article 4 Affidavit

Not Applicable

: SANJEEV KUMAR

Not Applicable

: SANJEEV KUMAR

100

(One Hundred only)



SHRI MUNSHI RAM FOOD PRODUCTS

Part 1

सेवा में

श्रीमान पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी0 सी0-12, बिभुति खण्ड,
गौमती नगर लखनऊ


महोदय,

निवेदन यह है कि हमारी एक फर्म श्री मुन्शी राम के नाम से दिल्ली में काम कर रही थी। विगत 27.08.2022 को हमने जी-71, यूपीएसआईबीसी एम0 जी रोड पर शिफ्ट की है। जिसमें अभी शिफ्टिंग का कार्य चल ही रहा था, कि मुझे ज्ञात हुआ के इस प्लॉट (जी-71) पर न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी है। जिसका जबाव प्लॉट मालिक द्वारा दे दिया गया है। लेकिन अभी वहाँ किसी कार्य को करने की अनुमति नहीं थी। इन सभी बातों की मुझे जानकारी नहीं थी। अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने आने पर मुझे यह सब ज्ञात हुआ। अभी हम यहाँ अपना विस्कुट एवं नमकीन का काम शुरू नहीं कर रहे। प्रदूषण बोर्ड द्वारा अनुमति मिलने पर ही हम अपना काम शुरू करेंगे।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद

दिनांक:- 30.08.2022

प्रतिलिपी सूचानार्थ
क्षेत्रीय अधिकारी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गाजियबाद

श्री मुन्शीराम

संजीव कुमार
पार्टनर

30 AUG 2022



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1186/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

M/S LAIBA ENTERPRISES

PLOT NO. G-71, M.G. ROAD, INDUSTRIAL AREA, HAPUR, U.P.

08/09/2022

REF. NO.

DATE 08/09/2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता वृत्त-1.

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पी. सी०-12, बी. विभूति श्वर,

गोमतीनगर, लखनऊ,

विषय: कारखाने परिसर को स्वच्छी करने के संबंध में,

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि हमारे द्वारा मै० श्री मुन्सीराम फुल्लू प्रोएक्ट को किराया पर दिलाया जो आपके कार्रवाईनुसार प्रभोक्त सड़ना H/70357/सी-1 सा०-796/2021 एवं 2022 अनुसार हमने 04/08/2022 को स्वच्छी करा दिया जाता है, अब हमारे परिसर में किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है जबकि निम्न कार्रवायों से पंजीकृत करा का हो कार्य किया जाएगा

इति: श्रीमान से निवेदन है कि हमारे कारखाने को पुनः खोलने का आदेश दिया जाए, यह आपकी कृति कृपा होगी।

धन्यवाद -

आज्ञा

AFB

प्रतिलिपि - क्षेत्रीय अधिकारी,
उ० प्र० प्रदूषण बोर्ड,
गोमतीनगर

प्रमुख कार्रवाई
08/09/2022



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

28/8

संदर्भ संख्या : 1660/सी/01.92/2022

दिनांक 28/8/2022

मोहम्मद अजीम,

प्लॉट नं०-आई-10, फेज-3, यू०पी०एस०आई०डी०सी औद्योगिक क्षेत्र,
एम०जी० रोड, हापुड।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अज्ञापक प्राविधानों के सम्बन्ध में।

मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित OA No-97/2022 Salman Miya Versus State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 04.02.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में संयुक्त समिति द्वारा उक्त प्लॉट का पूर्व निरीक्षण दिनांक 23.04.2022 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त प्लॉट पर बिल्डिंग के अतिरिक्त कोई प्लांट एवं मशीनरी स्थापित व कार्यरत नहीं पायी गयी थी।

मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली के उक्त आदेश के क्रम में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 29.08.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त उद्योग परिसर में आप द्वारा ई-वेस्ट डिस्मेटलिंग मटेरियल भण्डारित पाया गया, जिस हेतु बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त एवं सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपका निर्देशित किया जाता है कि उद्योग संचालन तत्काल बन्द कर बोर्ड को सूचित करें तथा सहमति जल/वायु प्राप्त किये बगैर उद्योग का संचालन न किया जाये। अन्यथा उद्योग एवं उद्योग के स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, गाजियाबाद।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2 सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Government of Uttar Pradesh

SMT. PRAVEEN

LIC NO.- 433

MOB:- 93199061

859577412

e-Stamp

SIGN

100

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP81206519093541U

30 Aug 2025 02:48 PM

NEWINDIA (S) LTD. 100450M CHAZIABAD SADAR, UP-628

2000M UP-UP-100450454750526709927U

MOHD AZEEM

Article 100/way 1

Not Applicable

MOHD AZEEM


Not Applicable

MOHD AZEEM

100

(One Hundred Rupees)

सत्यमेव जयते



100

IN-UP81206519093541U



Statutory Alert

The genuineness of this Stamp Certificate should be verified at www.sholeman.org or upon a "Sholeman Mobile App" (Sholeman App) available on the website of Sholeman App. The Sholeman App is available on the website of Sholeman App.

शपथ पत्र
समक्ष : श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी
नियन्त्रण बोर्ड वसुन्धरा गाजियाबाद । उत्तर प्रदेश प्रदुषण
शपथ पत्र ओर से :- मैसर्स बेस्टवे डिस्पोजल स्थित फेस-3,
आई-10, मसूरी गुलावटी रोड, इण्डो एरिया, हापुड 20130
प्रोपराईटर मौ० अजीम पुत्र नसीम अहमद निवासी-रहमत
नगर गली नं०-1, करबला रोड मुरादाबाद निम्न प्रकार से है।

1. यह कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सत्य एवं सही है ।
2. यह कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मैं शपथकर्ता इस कम्पनी में E-Waste Dismantling का कार्य किया जायेगा।
3. यह कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि अभी उक्त कम्पनी में Shifting का कार्य चल रहा है।
4. यह कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि UPSIDC Subletting Permission के लिये आवेदन किया हुआ है। जिसकी कॉपी साथ में संलग्न है।
5. यह कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि Permission आते ही बोर्ड में जमा कराकर आपके यहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही कार्य शुरू किया जायेगा। अभी हम अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये भी आवेदन कर रहे हैं जिसमें UPSIDC Subletting Permission की कॉपी साथ संलग्न है।

सत्यापन- मैं सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की सभी धारारें सत्य एवं सही हैं कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है ।

प्रमाणित स्थान गाजियाबाद ।

दिनांक : 30.08.2022


शपथकर्ता

ATTESTED




MANOJ KUMAR
Advocate & Notary
Govt. of India
Reg No-9543

30 AUG 2022